



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 कार्तिक 1939 (श10)
(सं0 पटना 999) पटना, मंगलवार, 24 अक्टूबर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

24 अक्टूबर 2017

एस० ओ० 255, दिनांक 24 अक्टूबर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, उन सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो नियत तारीख तक अगस्त, 2017 और सितम्बर, 2017 मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने में असफल रहे हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस का अधित्यजन करते हैं।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-3866)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

24 अक्टूबर 2017

एस०ओ० 256, एस०ओ० 255, दिनांक 24 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-3866)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 24th October 2017

S.O. 255, dated 24th October 2017— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby waives the late fee payable under section 47 of the said Act, for all registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of August and September, 2017 by the due date.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017-3866)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 999-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>